पत्रांक ...255/ 2118, एम एस कैम्प/2।

दिनांक 3/2/21

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

बैठक में ओ0ए0 संख्या 985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 एवं ओवरसाइट कमेटी द्वारा की गयी समीक्षा के उपरान्त दिये गये निर्देशों के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण हेतु उत्तरदायी यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये। परन्तु तीनो बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में आई0आई0टी0, कानपुर से खानचन्दपुर रनियॉ कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट का परीक्षण कर निस्तारण हेतु तकनीकी, अनुमानित लागत एवं निस्तारण हेतु रोडमैप सहित टेण्डर की शर्तो के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि आई0आई0टी0 कानपुर से तकनीकी, अनुमानित लागत एवं निस्तारण हेतु रोडमैप सहित टेण्डर की शर्तों के सम्बंध में समन्वय कर शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जायें तथा तकनीकी समिति के माध्यम से विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लेते हुए शीघ्र निविदा आमंत्रित कर कोमियम वेस्ट को हटाने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये।

CEO (C-2)

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर औद्योगिक विकास विभाग के सचिव स्तर से सहअध्यक्षता करते हुए प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेकर कोमियम वेस्ट के प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के निस्तारण एवं भूगर्भीय जलगुणता में सुधार हेतु आवश्यक धनराशि को 6 दोषी उद्योगों के विरूद्ध रूपये 280.01 करोड़ की पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के माध्यम से ऐस्को एकाउण्ट में जमा कराया जाना था। परन्तु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 04.01.2021 को पारित आदेश द्वारा सम्बंधित उद्योगों द्वारा दायर अपील की सुनवाई उपरान्त अगले आदेशों तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली पर रोक लगा दी गयी है। उद्योगों से प्रत्यावेदन प्राप्त कर उनके निस्तारण उपरान्त दोषी उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियॉ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, प्रारम्भिक हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध कोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में गठित चिकित्सकीय टीम की अन्तिम सर्वे रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

ओ0ए0 संख्या 986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण रूपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1.0 करोड़ के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका सं0 सिविल अपील –002924–002925 /2020 (डायरी सं0–4835/2020) दायर की गयी है। उक्त वाद की पिछली सुनवाई दिनांक 12.01.2021 को हुई है जिसमें इस वाद को सिविल अपील नं0 988–989/2020 के साथ टैग करने का आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है।

2– अतः बैठक में सर्वसम्मति से निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्णय लिये गये –

1– यूपीसीडा द्वारा आई0आई0टी0 कानपुर से समन्वय कर कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु तकनीकी, लागत, रोडमैप एवं निविदा शर्तों सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त की जाये। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग के सचिवों की संयुक्त अध्यक्षता में, गठित तकनीकी समिति के माध्यम से प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु परामर्श प्राप्त कर यूपीसीडा द्वारा शीघ्र टेण्डर आमंमित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ यूपीसीडा)

2– स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट विलम्बतम एक माह में पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

3– मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में उद्योगों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दोषी उद्योगों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली करवाने हेतु शीघ आवश्यक कार्यवाही की जाये, जिससे वांछित धनराशि एस्को एकाउण्ट में जमा कर कोमियम वेस्ट को

टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से निस्तारण एवं प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय जलगुणता के रेमिडियेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, कानपुर,/कानपुर देहात)

4– नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।

(कार्यवाही–उ0प्र0 जल निगम)

सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– N.G.T- 47 **/81–7–2021–44(रिट)/2016 टी.सी.–2**
लखनऊ : दिनांक : 29 **जनवरी, 2021**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।